प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 02.09.2025

- ❖ **थाना राजपुर पुलिस द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करने वाले 02 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार ।**
- ❖ **अभियुक्तगण के कब्जे से 03 ट्रैक्टर की ट्रॉली, 01 महिंद्रा ट्रैक्टर, 01 नाजायज तमंचा 12 बोर मय 03 अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद ।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 01/02.09.2025 की रात्रि में थाना राजपुर पुलिस द्वारा खोजारामपुर बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 02 व्यक्ति खोजारामपुर के पास झाड़ियां में चोरी के 03 ट्रैक्टर की ट्राली व 01 ट्रैक्टर महिंद्रा को बेचने की फिराक में छिपे बैठे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई, तो एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया व दूसरा व्यक्ति पुलिस टीम को देख कर भागने लगा। पुलिस टीम ने भागते हुये व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने को कहा, तो उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अंतिम चेतावनी देते हुए फायर किया गया तो भागते हुये व्यक्ति के पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर गया। पुलिस टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम गोविंद तिवारी पुत्र वेद प्रकाश निवासी सलहरा थाना राजपुर कानपुर देहात तथा घायल व्यक्ति ने अपना नाम अप्पू उर्फ राघवेन्द्र पुत्र भगवत सिंह निवासी ग्राम चिरगांव खुर्द थाना समथर जनपद झाँसी बताया। अभियुक्तगण के कब्जे से 03 ट्रैक्टर की ट्राली व 01 महिंद्रा ट्रैक्टर, एक नाजायज तमंचा 12 बोर मय 03 अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस मौके से बरामद हुए। घायल अभियुक्त अप्पू उर्फ राघवेन्द्र उपरोक्त को प्राथमिक इलाज हेतु सीएचसी सिकन्दरा में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 63/2025 धारा 109(1)/303(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25/27(2) आर्म्स एक्ट पंजीकृत पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पता-

1. अप्पू उर्फ राघवेन्द्र पुत्र भगवत सिंह निवासी ग्राम चिरगांव खुर्द थाना समथर जनपद झाँसी,
2. गोविन्द तिवारी पुत्र वेद प्रकाश तिवारी निवासी ग्राम सिलहरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी- एक अदद तमंचा 12 बोर मय 03 जिदा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर व जामा तलाशी 12420 रुपये, एक अदद टैक्टर महिन्द्रा 265 DI+ व तीन अदद ट्रॉली ।

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि जो हम लोग ट्रॉली चोरी करते हैं, दिनाँक 23.08.2025 को ग्राम पिटाकपुर थाना राजपुर से एक ट्राली चोरी किये थे व दिनांक 24.07.2025 को ग्राम खोजारामपुर यमुना पुल के पास बने मंदिर से एक ट्रॉली चोरी किये थे और एक ट्रॉली ग्राम दयानतपुर थाना सिकन्दरा से दिनाँक 05.06.2025 को चोरी किये थे। हम लोग सुरक्षा के तौर पर अपने पास देशी तंमचा व कारतूस रखते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने व पकडे जाने पर भाग सकें। चोरी की गयी ट्रालियों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो पकडे गये दोनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हम लोग ट्रैक्टर को ले जाते है व खडी ट्रालियों को ट्रैक्टर में जोडकर ले आते थे व यमुना किनारे के जंगल में ट्रालियाँ लाकर खडी कर देते थे और बाद में यहीं ग्राहक लाकर ट्रालियाँ बेच देते थे। बेचे हुये पैसे आपस में बाँट लेते थे आज भी इन ट्रालियों के ग्राहक आ रहे थे उस से पहले आपने पकड़ लिया।

अभियुक्त अप्पू उर्फ राघवेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 368/2004 धारा 302 भादवि0 थाना समथर जनपद झाँसी,
2. मु0अ0सं0 122/2015 धारा 60(2)/72/272/467/468/147 भादवि0 थाना पूँछ जनपद झाँसी,
3. मु0अ0सं0 124/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पूँछ जनपद झाँसी,
4. मु0अ0सं0 135/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात,
5. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात,
6. मु0अ0सं0 62/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात,

7. मु0अ0सं0 63/2025 धारा 109(1)/303(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25/27(2) आर्म्स एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात,

अभियुक्त गोविन्द तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 213/2023 धारा 323/504/506 भादवि0 कोतवाली कालपी जनपद जालौन,
2. मु0अ0सं0 262/2024 धारा 279/337/338 भादवि0 कोतवाली उरई जनपद जालौन,
3. मु0अ0सं0 135/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात,
4. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात,
5. मु0अ0सं0 62/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात,
6. मु0अ0सं0 63/2025 धारा 109(1)/303(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25/27(2) आर्म्स एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात,

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना राजपुर पुलिस